



उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/वि0प0/ए0आ0आ0वि0प्र0प0 2026 / 154-160/2025-26 दिनांक 17 जनवरी 2026

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरावना (चकराता), बाजपुर एवं खटीमा

प्रवेश परीक्षा (कक्षा 6)-2026

:: विज्ञप्ति ::

निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक C-167/ज0जा0क0/ई0एम0आर0एस0/प्रवेश परीक्षा-26/2025-26, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 एवं पत्रांक C-187/ज0जा0क0/ई0एम0आर0एस0/प्रवेश परीक्षा-26/2025-26, दिनांक 17 जनवरी 2026 के क्रम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरावना (देहरादून), बाजपुर एवं खटीमा (उ0सि0नगर) में सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 06 में प्रवेश हेतु राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 05 में अध्ययनरत (उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति (DNT), घूमन्तू जनजाति (NT), अर्ध घूमन्तू जनजाति (SNT), एवं कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका तथा अनाथ बालक/बालिका से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

उक्त विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ-साथ निःशुल्क उच्च स्तरीय विद्यालयी सह शिक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इन विद्यालयों में कक्षा 06 में प्रवेश हेतु कुल 60 सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निम्न विवरणानुसार छात्र-छात्राओं को चयनित किया जाना है।

• वर्गवार विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) का आरक्षणवार विवरण:-

क्र० सं०	वर्ग/श्रेणी	विद्यालयवार उपलब्ध स्थानों (सीटों) का विवरण			
		ए0आ0आ0वि0 कालसी (देहरादून)	ए0आ0आ0वि0 मेहरावना (देहरादून)	ए0आ0आ0वि0 बाजपुर (उ0सि0नगर)	ए0आ0आ0वि0 खटीमा (उ0सि0नगर)
1	अनुसूचित जनजाति (ST)	50	50	50	50
2	विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTGs) (बुक्सा एवं राजी जनजाति हेतु)	3	3	3	3
3	विमुक्त जनजाति (DNT), घूमन्तू जनजाति (NT), अर्ध घूमन्तू जनजाति (SNT) के बालक/बालिका	3	3	3	3
4	कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका	4	4	4	4
योग		60	60	60	60

1. उक्त तालिका के क्र०सं० 1 एवं क्र०सं० 4 में अंकित वर्ग/श्रेणी में बालक-बालिका हेतु 50-50 प्रतिशत (अर्थात् क्रमशः 25-25 एवं 02-02 स्थान (सीटें) आरक्षित होंगे। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बालक-बालिका वर्ग में पृथक-पृथक चयन किया जायेगा।

2. उक्त तालिका के क्र०सं० 2 एवं 3 में क्रमशः 02 बालिका एवं 01 बालक तथा 02 बालक एवं 01 बालिका का चयन मैरिट के आधार किया जायेगा। क्रम सं० 2 में ब्लॉक एवं जनपद हेतु आरक्षित सीटों में से 01-01 बालिका का चयन ब्लॉक एवं जनपद से व 01 बालक का चयन ब्लॉक से किया जायेगा तथा क्र०सं० 3 में ब्लॉक एवं जनपद हेतु आरक्षित सीटों में से 01-01 बालक का चयन ब्लॉक एवं जनपद से व 01 बालिका का चयन ब्लॉक से किया जायेगा।

/13/1

4. दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु कुल तीन (03) सीटें आरक्षित की गयी हैं, जिनमें से दो (02) सीटें अनुसूचित जनजाति एवं एक (01) सीट अन्य श्रेणी से भरी जायेगी।

4. प्रत्येक विद्यालय हेतु कुल निर्धारित 60 सीटों में सर्वप्रथम ब्लॉक, तत्पश्चात् जनपद एवं राज्य के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जायेगी। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में अपने स्थाई निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ब्लॉक एवं जनपद की अंकना करें।

5. अभ्यर्थी द्वारा उक्त तालिका में अंकित चारों विद्यालयों में से अपनी इच्छानुसार प्रवेश हेतु अपनी वरीयता आवेदन पत्र में भरी जायेगी। वरीयता क्रम में चारों विद्यालयों को भरना अनिवार्य है। प्रवेश, मैरिट (प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों) एवं विद्यालय की वरीयता के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

प्रवेश हेतु पात्रता :-

1. शैक्षिक अर्हता :

क. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 05 में अध्ययनरत (उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति (DNT), घुमन्तू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमन्तू जनजाति (SNT), एवं कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका तथा अनाथ बालक/बालिका, कक्षा 06 में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे। कक्षा 05 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके बालक-बालिका इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं अतः वे आवेदन न करें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका से करायेंगे जहाँ वह वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा 05 में अध्ययनरत है।

ख. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) से 31 मार्च 2026 तक या उससे पूर्व 'ब' प्रमाण पत्र दक्षता उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2026 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य) में हों। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस केन्द्र/संस्था के प्रभारी से करायेंगे जहाँ से उनके द्वारा प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है।

ग. गृह शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी (जिन्होंने किसी औपचारिक विद्यालय से शिक्षा ग्रहण न की हो) भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2026 को अभ्यर्थी की आयु 10 से 13 वर्ष के मध्य) में हों। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के माता/पिता/अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उनकी जन्मतिथि (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्रानुसार) एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक दक्षताएं पूर्ण करने विषयक घोषणा भी करनी होगी।

2. आयु सीमा : अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2026 को 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिये अर्थात् उसका जन्म 31 मार्च 2013 से 01 अप्रैल 2016 के मध्य हुआ हो (उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)। दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी के अध्ययनरत विद्यालय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

4. अभ्यर्थी जिस श्रेणी के लिये आवेदन करेगा उस श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के पास अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को, आरक्षण (जिस श्रेणी में वह चयनित होता है) का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. राज्य की विमुक्त जनजाति (DNT), घुमन्तू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमन्तू जनजाति (SNT), के बालक/बालिका भी इस प्रवेश परीक्षा में उनके लिये इस श्रेणी में उपलब्ध स्थानों (सीटों) के सापेक्ष आवेदन कर सकेंगे।
6. कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका एवं अनाथ बालक/बालिका श्रेणी में राज्य के अन्य वर्गों (सामान्य/अनु0जाति/अ0पि0वर्ग) के बालक/बालिका भी इस प्रवेश परीक्षा में उनके लिये इस श्रेणी में उपलब्ध स्थानों (सीटों) के सापेक्ष आवेदन कर सकेंगे।
7. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को ए0आ0आ0वि0 कालसी, ए0आ0आ0वि0 मेहरावना (चकराता), ए0आ0आ0वि0 बाजपुर तथा ए0आ0आ0वि0 खटीमा में प्रवेश हेतु अपनी वरीयताक्रमानुसार विद्यालयों के नाम (जहाँ कक्षा 6 में प्रवेश हेतु इच्छुक हो) अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अभ्यर्थी को चारों विकल्प भरना अनिवार्य है। विद्यालयों का चयन न करने पर अभ्यर्थी की योग्यतानुसार कोई भी विद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा एवं विद्यालय परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचना के आधार पर उसे औपबन्धिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जायेगा परन्तु चयन होने की स्थिति में काउंसिलिंग के समय आवेदन पत्र में भरी गयी कोई सूचना असत्य/गलत पाये जाने अथवा प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा। गलत तथ्य/सूचना प्रस्तुत करने के कारण अभ्यर्थी के माता/पिता/संरक्षक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः अपने पाल्य के अभ्यर्थन की भली-भाँति जाँच कर परीक्षा आवेदन पत्र में सही सूचना अंकित करें।
9. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में उसकी मैरिट के आधार पर प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह सत्र 2025-26 में कक्षा 5 में अध्ययनरत अथवा 'ब' प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र सहित अपने समस्त मूल प्रमाणपत्र (यथा जाति, निवास, जन्म/श्रेणी प्रमाण पत्र आदि) काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कोई भी तथ्य/सूचना या प्रमाण पत्र असत्य/गलत पाये जाने या प्रस्तुत न करने पर चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10. विद्यालयों में भौतिक/बुनियादी सुविधाओं अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय का संचालन वर्तमान संचालन स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. विद्यालय भवन का निर्माण होने तक ए0आ0आ0वि0 बाजपुर (उधमसिंहनगर) के लिये कक्षा 6 में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं की कक्षाएं ए0आ0आ0वि0 खटीमा (उधमसिंहनगर) एवं इसी प्रकार ए0आ0आ0वि0 मेहरावना (देहरादून) के लिये कक्षा 6 में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं की कक्षाएं देहरादून में किराए के भवन में संचालित की जाएंगी। सहमत होने पर ही आवेदन करें।

• आवेदन पत्र :

आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रतियां समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य सम्बन्धित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा निकटतम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in के DEPARTMENTAL EXAM टैब से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

• परीक्षा केन्द्र :

परीक्षा हेतु निम्न 26 केन्द्र प्रस्तावित हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में 03 परीक्षा केन्द्रों के नाम अंकित करने होंगे। यथासंभव परीक्षार्थी को प्रथम वरीयता वाला परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। किन्तु प्रथम वरीयता वाले केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर द्वितीय या तृतीय परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। वरीयता क्रम में अंकित किये गये परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम



होने पर अन्य निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा निम्नवत् परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी प्रस्तावित है—

क्र०सं०	प्रस्तावित केन्द्र का विवरण		
	कोड	नाम	जनपद
01	101	राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय लालढांग हरिद्वार	हरिद्वार
02	102	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिपुर कालसी	देहरादून
03	103	राजकीय इण्टर कालेज कालसी	देहरादून
04	104	राजकीय बालिका इण्टर कालेज हरिपुर कालसी	देहरादून
05	105	कैण्ट इण्टर कालेज चकराता	देहरादून
06	106	राजकीय इण्टर कालेज त्यूनी वि०ख० चकराता	देहरादून
07	107	रा०इ०का० सभावाला, वि०ख० विकास नगर	देहरादून
08	108	रा०इ०का० डाकपत्थर, वि०ख० विकास नगर	देहरादून
09	109	रा०इ०का० नालापानी, वि०ख० रायपुर	देहरादून
10	110	राजकीय बालिका इण्टर कालेज उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
11	111	राजकीय बालिका इण्टर कालेज पुरोला	उत्तरकाशी
12	112	राजकीय इण्टर कालेज डुण्डा	उत्तरकाशी
13	113	राजकीय इण्टर कालेज कण्वघाटी (किशनपुरी)	पौड़ी
14	114	राजकीय इण्टर कालेज ज्योर्तिमठ	चमोली
15	115	राजकीय इण्टर कालेज नन्दानगर (घाट)	चमोली
16	116	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलुवाकोट	पिथौरागढ़
17	117	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुनस्यारी	पिथौरागढ़
18	118	एस०डी०एस० राजकीय इण्टर कालेज पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
19	119	अ०उ० राजकीय इण्टर कालेज डीडिहाट	पिथौरागढ़
20	120	राजकीय इण्टर कालेज लोहाघाट	चम्पावत
21	121	राजकीय इण्टर कालेज दिनेशपुर	ऊधमसिंह नगर
22	122	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटीमा	ऊधमसिंह नगर
23	123	राजकीय थारु इण्टर कालेज खटीमा	ऊधमसिंह नगर
24	124	राजकीय इण्टर कालेज सितारगंज	ऊधमसिंह नगर
25	125	इण्टर कालेज बाजपुर	ऊधमसिंह नगर
26	126	गुरुनानक इण्टर कालेज नानकमत्ता	ऊधमसिंह नगर

• आवेदन की अंतिम तिथि :-

दिनांक 10 फरवरी 2026 को सायं 5:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र "सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, विभागीय परीक्षा अनुभाग, रामनगर (नैनीताल) पिन-244715" के पते पर पंजीकृत डाक से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। लिफाफे के बाहर "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 हेतु आवेदन पत्र" अवश्य लिखा जाय। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, निर्धारित अन्तिम तिथि तक सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के साथ ही राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाखामण्डल बिनसौण (देहरादून), राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुनस्यारी (पिथौरागढ़), राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय लालढांग (हरिद्वार), राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्योर्तिमठ (चमोली), राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) में भी जमा कर सकते हैं।

(हस्ताक्षर)

• परीक्षा तिथि :

प्रवेश परीक्षा माह अप्रैल 2026 द्वितीय सप्ताह में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रस्तावित है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार के पते पर माह मार्च 2026 द्वितीय सप्ताह तक उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें परीक्षा तिथि/समय एवं परीक्षा केन्द्र का नाम अंकित होगा।

परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ आवेदक को अपनी पहचान के रूप में कोई फोटोयुक्त पहचानपत्र (आई0डी0) (आधार कार्ड/बैंक पास-बुक/विद्यालय का परिचय पत्र) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। विलम्ब हेतु परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यदि किसी अर्ह अभ्यर्थी को किसी कारण से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह परीक्षा से एक दिन पूर्व, परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित अभ्यर्थी का विवरण यथा नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र आदि का अवलोकन कर आवंटित परीक्षा केन्द्र में जाकर भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इस हेतु उसे परीक्षा केन्द्र पर अपना फोटो एवं पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

• परीक्षा योजना :- प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घण्टे होगी, प्रश्न पत्र में तीन खण्ड निम्नवत् होंगे :-

खण्ड	विषय वस्तु/खण्ड	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक
(क)	मानसिक योग्यता परीक्षा	50	50
(ख)	गणित परीक्षा	25	25
(ग)	भाषा (हिन्दी) परीक्षा	25	25
कुल प्रश्नों की संख्या		100	100

1. प्रश्न पत्र में उक्तवत् कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। खण्ड (ग) भाषा (हिन्दी) को छोड़कर अन्य भाग (खण्ड 'क' एवं खण्ड 'ख') हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे।
2. परीक्षा की अवधि दो घण्टे होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को नियमानुसार प्रतिपूरक समय दिया जा सकेगा।
3. प्रश्नों का स्तर प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 तक के स्तर) के समान होगा।
4. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थी इसका अभ्यास कर लें। प्रश्न के सामने दिये गये चार विकल्पों (A,B,C,D) में से सही विकल्प के गोले को काला करना है। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित करने के लिये परीक्षार्थी केवल काली/नीली बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग कर सकेंगे।
5. प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक देय होगा। एक से अधिक विकल्प पर गोला करने अथवा प्रश्न का उत्तर अंकित न करने पर कोई अंक देय नहीं होगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।
6. परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, किसी भी प्रकार की इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, मुद्रित या लिखित पाठ्य सामग्री को लाना/प्रयोग करना वर्जित है।
7. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को कक्ष निरीक्षक के पास जमा करना होगा। प्रश्नपुस्तिका परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

• मूल्यांकन प्रणाली : परीक्षाफल एवं योग्यता सूची निर्माण की प्रक्रिया :

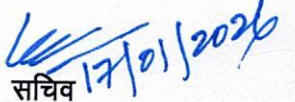
परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा औपबन्धिक उत्तर-कुंजी (Provisional Answer Key) परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी उत्तर-कुंजी (Answer Key) के किसी उत्तर पर आपत्ति होगी तो वह परिषद् को निर्धारित अवधि के अंतर्गत सप्रमाण दावा/आपत्ति कर सकता है। बिना प्रमाण एवं निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायगा तथा उसे अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जायेगा। दावा/आपत्ति सही पाये जाने पर परिषद् द्वारा जारी उत्तर-कुंजी (Answer Key) में तदनुसार आवश्यक संशोधन या निरसन के पश्चात् अंतिम

उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) तैयार कर परीक्षाफल का निर्माण किया जायेगा। परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

12/11

1. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) की स्केनिंग एवं आपत्ति निराकरण के उपरान्त अंतिम उत्तर-कुंजी (Final Answer Key) के आधार पर परिषद् द्वारा परीक्षाफल तैयार कर घोषित किया जायेगा।
 2. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्कूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 3. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर प्रत्येक विद्यालय हेतु निर्धारित आरक्षणवार पृथक-पृथक चयन/योग्यता सूची तैयार की जायेगी। परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में (i) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा, यदि आयु भी बराबर है तो (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार पहले आने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।
 4. ओ0एम0आर0 उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) सहित परीक्षा के अभिलेख परीक्षा आयोजन तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगे एवं तत्पश्चात् इन्हें विनष्ट (वीड आउट) कर दिया जायेगा।
- विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) का आरक्षणवार विवरण तालिका में अंकित किसी भी वर्ग/श्रेणी में अर्ह अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त स्थानों (सीटों) पर निदेशक जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक C-167/ज0जा0क0/ई0एम0आर0एस0/प्रवेश परीक्षा-26/2025-26, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 एवं पत्रांक C-187/ज0जा0क0/ई0एम0आर0एस0/प्रवेश परीक्षा-26/2025-26, दिनांक 17 जनवरी 2026 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।
 - अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :
 1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त चयन/योग्यता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता की जाँच सम्बन्धित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। किसी सूचना या तथ्य के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए सम्बन्धित के माता/पिता/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 2. परीक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम/तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
 3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 4. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये दूरभाष नं० 05947-254275 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
 5. परिषद् के साथ पत्र व्यवहार हेतु पता निम्नवत् है—

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
(विभागीय परीक्षा अनुभाग),
पो0ऑ0 रामनगर (नैनीताल) पिन : 244715


 सचिव 17/01/2026
 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
 रामनगर (नैनीताल)